



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कमांक 3691 / अकादमी/चयन समिति/09
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30-11-09

विद्यार्थी रिमा कालेज भावल
एक के.एन. सलमा, कोला रोड
भोपाल

विषय:-बीएड पाठ्यक्रम सत्र 2009-10 हेतु अस्थाई संबद्धता निरंतर करने विषयक ।

महोदय,


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, के पत्र कमांक 39600 दिनांक 21.8.08 द्वारा जारी मान्यता के आधार पर विद्वत परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 02.06.09 तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 04.06.09 में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम में छात्र संख्या 100 हेतु अस्थाई संबद्धता/निरंतरता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।

शर्त:-

1. आपको अस्थाई संबद्धता निरंतर हेतु आगामी सत्र 2010-11 के लिये निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित आवेदन पर आवेदन करना होगा ।
2. आपको विश्वविद्यालय परिनियम/27 एवं 28 की परीक्षा अध्यादेश कमांक 5,6,7 का पालन करना होगा, जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं ।
3. आपको शासी निकाय की नियमित बैठकों के कार्यवृत्त जिसमें विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि उपस्थित हो दिनांक 31.12.09 तक अवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे ।
4. प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति कालेज कोड-28 के तहत करनी होगी ।
5. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा ।
6. महाविद्यालय का स्वयं का भवन होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
7. उपरोक्त शर्तें पूर्ण न होने पर संबद्धता निरस्त की जा सकेगी


यदि महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम में कोई त्रुटि हो तो उसे 10 दिवस के अन्दर स्वयं उपस्थित हो कर त्रुटि सुधरवा ले । निर्धारित समय का विशेष ध्यान रखे अन्यथा बाद में त्रुटि सुधारना संभव नहीं होगा ।

आदेशानुसार,


सहा0कुलसचिव अकादमी
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
भोपाल, दिनांक 30-11-09

पू0कमांक 3692/अकादमी/संबद्धता/09
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
3. क्षेत्रीय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भनस भवन श्यामला हिल्स भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल


सहा0कुलसचिव, (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

क्रमांक 2258/अकादमी/संबद्धता/08
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/12/08

प्राचार्य,
विक्टोरिया शिक्षा महाविद्यालय,
भोपाल

विषय:-बी.एड. पाठयक्रम सत्र 2008-09 में अस्थाई संबद्धता प्रदान करने विषयक ।

महोदय,

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्र क्रमांक 39600 दिनांक 21.08.08 द्वारा प्रदत्त मान्यता एवं उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 921 दिनांक 31.05.08 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन एवं विद्वत परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 24.09.08 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 05.11.08 में अनुमोदन उपरान्त आपके महाविद्यालय को बी.एड. पाठयक्रम में 100 छात्र संख्या हेतु अस्थाई संबद्धता सत्र 2008-09 में निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।

शर्त:-

1. आपको अस्थाई संबद्धता निरंतर हेतु आगामी सत्र 2009-10 के लिये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की मान्यता एवं शुल्क एवं निर्धारित आवेदन पर आवेदन करना होगा ।
2. आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा, जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं ।
3. आपके शिक्षकों को नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार तीन माह के अन्दर कालेज ब्लॉक-28 के तहत करनी होगी ।
4. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा ।
5. आपको शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा ।
6. उपरोक्त शर्तें पूर्ण न होने पर संबद्धता निरस्त की जा सकेगी ।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

19/12/08

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
भोपाल, दिनांक 19/12/08

पू०क्रमांक 2259/अकादमी/संबद्धता/08
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. अपर सचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
3. सचिव, क्षेत्रीय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल ।
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक संचालक, शारी० शिक्षा, अधि.छा.क० समन्वयक रा०से०यो० बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल



PONDICHERRY UNIVERSITY

S. LOGANATHAN
REGISTRAR

Administrative Building
R.V. Nagar, Kalapet
Puducherry 605 014
Phone: 0413-2654202

PU/AS-I/Aca-1/21-Vol.II/2005/VICE/05

10.01.2008

BY SPEED POST

To

The Secretary
Victoria College of Education
72/10, Madhuban Farm House
Nayapura, Kolar Road
Bhopal.

Sir,

Sub: Pondicherry University – Extension of Provisional Affiliation for the B.Ed. Course at Victoria College of Education, Bhopal for the academic year 2007-2008 – Orders issued – Reg.

- Ref:** 1) Our letter No.PU/AS-I/Aca-1/21/2005/VICE/192, dated 13.11.2007
2) Your Undertaking sent vide letter No.vce/bpl/B.ED/38, dated 17.11.2007 and received on 31.12.2007
3) Your letter No.VCE/772/07, dated 24.12.2007

* * *

With reference to the above, I am directed to convey the approval of the University for extension of Provisional Affiliation for B.Ed. course at Victoria College of Education, Bhopal for the academic year 2007-2008 with the following intake, as requested by you vide your letter third cited, subject to the condition that at least two more faculty are appointed for Hindi:

Sl. No.	Branch/ Group	Intake
1.	Hindi	50
2.	English	05
3.	Mathematics	01
4.	Biological Science	06
5.	Social Studies	38

...2/-

S

The College should fulfill all the affiliation conditions as stipulated in our letter dated 13.11.2007 (Ref.1) and as undertaken to comply with, in your undertaking dated 17.11.2007 (Ref.2) and send a compliance report, with supporting documents, within one month from the date of the order to enable the University to verify the same.

The Challan bearing No.3312, dated 04.01.2008 for Rs.50,000/- towards remittance of affiliation fund in the Indian Bank, Pondicherry University account is herewith sent in acknowledgement of the receipt of your Demand Draft No.479392 dated 24.12.2007 drawn on Bank of Baroda, Puducherry.

Surprise checks may be conducted to ensure that all compliances reported have been actually taken care. In case, the same is not found, the University reserves the right to withdraw the affiliation without further notice.

This provisional affiliation is valid only for a period of one academic year i.e. 2007-2008.

There will be no extension of provisional affiliation from the academic year 2008-2009 onwards in view of the amended Minorities Educational Institutions Act, as already informed to you vide our letter first cited.

Yours faithfully,


(S. LOGANATHAN)
REGISTRAR